(Authoritative English test of the Notification No. Per(AP-B)A(3)1/2012 dated 14-02-2012 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF PERSONNEL (AP-II)

No.Per (AP-B)A(3)1/2012 Dated Shimla-2, the

14-02-2012

NOTIFICATION

The Government of Himachal Pradesh has notified the common Direct Recruitment and Promotion Rules in respect of the following category of post vide Notification number and date shown against the same:

Sr.	Title of the Rules	Notification No. & Date
No.		
1	Himachal Pradesh, Department of	No.Per(AP)-C-A(3)1/2007,
	Personnel, Computer Operator	dated 11-01-2012
	(Class-III Non- Gazetted) Common	
	Direct Recruitment and Promotion	
	Rules 2012	

The above common Direct Recruitment and Promotion Rules have been framed under Article 309 of the Constitution of India and as such are not applicable to the categories of posts in the Himachal Pradesh Public Service Commission as the H.P. Public Service Commission is a Constitutional body and the service conditions of the employees of the Commission are regulated under the provisions of Article 318(b) of the Constitution of India.

Therefore, with a view to bring uniformity in the Recruitment and Promotion Rules in respect of various categories of posts under the Government of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 read with Article 318 of the Constitution of India, is pleased order to that the above mentioned common Direct Recruitment and Promotion Rules shall be applicable to the category of post of "Computer Operator" in the Himachal Pradesh Public Service Commission from the date of publication of this Notification in Rajpatra, Himachal Pradesh:

Provided that the Recruitment and Promotion Rules notified in respect of above category of post and which are in force in the Himachal Pradesh Public Service Commission shall stand repealed.

Provided further that notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action take under the rules so repealed under proviso I supra, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By Order

MANISHA NANDA Principal Secretary (Personnel) to the Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार कार्मिक विभाग(नि0-।।)

संख्याः पर (एपी-बी)ए (3)-1 / 2012

तारीख शिमला—2, 14 फरवरी, 2012

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित पद के प्रवर्ग के सम्बन्ध में उसके आगे दर्शाई गई अधिसूचना संख्या और तारीख द्वारा सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति नियम अधिसूचित किए हैं:-

नियमों का नाम क्रम संख्या

अधिसूचना संख्या और तारीख

प्रदेश कार्मिक हिमाचल विभाग 1. ऑपरेटर, वर्ग—।।। कम्पयूटर

पीईआर (एपी)-सी-ए(3)-1/2007 तारीख 11 जनवरी, 2012

(अराजपत्रित) सामान्य सीधी भर्ती

और प्रोन्नति नियम, 2012

उपर्युक्त सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नित नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए गए हैं और इस प्रकार हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस पद के प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है और आयोग के कर्मचारियों की सेवा शर्तें भारत के संविधान के अनुच्छेद 318(बी) के उपबन्धों के अधीन विनियमित होती हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन पद के प्रवर्ग की बाबत भर्ती और प्रोन्नित नियमों में एकरूपता लाए जाने के दृष्टिगत, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश देती है कि उपर्युक्त वर्णित सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नित नियम, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में कम्पयूटर ऑपरेटर पद के प्रवर्ग के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे:

परन्तु पद के उपर्युक्त प्रवर्ग की बावत बनाए गए भर्ती और प्रोन्नति नियम और जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रवृत्त हैं, निरसित हो जाएंगेः

परन्तु यह और कि ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त परन्तुक I के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा.

मनीषा नन्दा प्रधान सचिव (कार्मिक) हिमाचल प्रदेश सरकार।



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार 13 जनवरी, 2012/23 पौष, 1933

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग (नि0-III)

अधिसूचना

शिमला-2, 11 जनवरी, 2012

संख्या पीईआर (एपी)—सी—ए (3)—1/2007.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कम्प्यूटर ऑपरेटर, वर्ग—III, (अराजपत्रित) तकनीकी सेवाएं पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध—I के अनुसार सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कम्प्यूटर ऑपरेटर, वर्ग—III, (अराजपत्रित) सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2012 है।

- (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- (3) ये नियम, हिमाचल प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी विभागों को लागू होंगे :

परन्तु ये नियम विधान सभा सचिवालय / हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पदों को लागू नहीं होंगे।

- 2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन समय—समय पर जारी कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नित नियमों में उपबन्धित सीधी भर्ती की पद्धित प्रवर्तन में नहीं रहेगी।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, **मनीषा नन्दा,** प्रधान सचिव (कार्मिक)।

उपाबन्ध—I

हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों में कम्प्यूटर ऑपरेटर, वर्ग—।।। (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नित नियम

- 1. **पद का नाम**.—कम्प्यूटर ऑपरेटर।
- 2. पदों की संख्या.—जैसी सम्बद्ध विभागों में सरकार द्वारा समय—समय पर मंजूर की गई है और मंजूर की जा सकेंगी।
 - 3. वर्गीकरण.—वर्ग -।।। (अराजपत्रित) (तकनीकी सेवाएं)।
 - वेतनमान.—।) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान ₹ 10300—34800 + 3200 ग्रेड पे।
 ।।) संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां:
 ₹ 13,500 / —स्तम्भ संख्या 15—''क'' मे दिए गए ब्यौरे के अनुसार।
 - 5. **चयन अथवा अचयन पद.**—लागू नहीं।
 - 6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-18 से 45 वर्ष।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप मे नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिये पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिये ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों /स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार कि रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नही दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे ।

- (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं।
- (2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
- 7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—क) अनिवार्य अर्हता.—(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश / केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्मक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर एपलिकेशन / सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि या इसके समकक्ष।

या

(ii) कम्प्यूटर सांईस/सूचना प्रौद्योगिकी में हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्मक रूप से मान्यता प्राप्त किसी बहुतकनीकी संस्थान से तीन वर्ष का डिप्लोमा या इसके समकक्ष।

या

(iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या इसके समकक्ष; और

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या हिमाचल प्रदेश / केन्द्रीय सरकार के द्वारा सम्मक रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से डाटा एन्ट्री प्रचालन / कम्प्यूटर ऐपलिकेशन / कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में कम से कम एक वर्ष का डिप्लोमा या इसके समकक्ष।

य

डोएक सोसाइटी से "ओ" लेवल का पाठ्यक्रम पास किया हो।

- ख) वांछनीय अर्हताः हिमाचल प्रदेश की रुढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ठ दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
- 8. क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताऐं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.—आयु : लागू नहीं। शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं।
- 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिये विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित करणों से आदेश दे।
- 10. भर्ती की पद्धित, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नित, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाले पदो की प्रतिशतता.—शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15— "क" में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा।
- 11. प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणिया (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जायेगा.—लागू नही।
 - 12. यदि विभागीय प्रोन्नित समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—लागू नहीं।

- 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा.—लागू नहीं।
- 14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं.—िकसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
- 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयकम, यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
- 15—क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी ।
- (I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन.....(विभाग का नाम) में कम्प्यूटर ऑपरेटर संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अविध में विस्तार / नवीकरण करने हेतु प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तथी उसकी संविदा की अविध नवीकृत / विस्तारित की जानी है।

- (ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.—सम्बद्ध विभाग का विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यापेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।
 - (ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा ।
- (II) संविदात्मक उपलिख्यां.—संविदा के आधार पर नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर को 13500/— रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों), के लिए संविदात्मक उपलिख्यों में 410/— रूपए की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
- (III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी.—सम्बद्ध विभाग का विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम), नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
- (IV) चयन प्रकिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि संबद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।
- (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय—समय पर गठित की जाए।
- (VI) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध ''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

- (VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 13500/— रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 410/— रूपए (पद के पे बैन्ड के न्यनूतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध सुविधाएं जैसे विरष्ट/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
- ख) संविदा पद नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।
- (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
- (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनिधकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
- (ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो स्थानान्तरण हेत् पात्र होगा।
- (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
- (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।
- (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में, यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0—, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों इत्यादि के लिए हकदार होंगे।
- 16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय—समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातीयों / अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किये गये अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध–''ख''

	०पाषंप्य अ
कम्प्यूटर ऑपरेत	टर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप
पक्षकार" कहा	गर श्री / श्रीमति,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्रथम गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य,(नियुक्ति प्राधिकारी का इसमें इसके पश्चात् ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख
	। पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कम्पयूटर आपरेटर दा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–
1.	यह कि प्रथम पक्षकार कम्प्यूटर आपरेटर के रूप मेंसे प्रारम्भ होने और को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्
	परन्तु संविदा अविध में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अविध नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।
2.	प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 13500/— रूपए प्रतिमास होगी।
3.	प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4.	संविदात्मक नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक नियुक्त कम्प्यूटर आपॅरेटर को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

- 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदात्मक पर नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर कर्त्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए, संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
- 6. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है आवश्यकता के आधार पर जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो, स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा।
- 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था,

प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

- 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।
- 9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ—साथ ई०पी०एफ० / जी०पी०एफ० भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :	
1	
(नाम व पूरा पता) 2	
(नाम व पूरा पता)	(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर
साक्षियों की उपस्थिति में 1	
(नाम व पूरा पता) 2	
(नाम व पूरा पता)	(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

[Authoritative English Text of Government Notification No. Per (AP)-C-A (3)-1/2007 dated 11.01.2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL (AP-III) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 11th January, 2012

No. Per (AP)-C-A (3)-1/2007.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Common Direct Recruitment and Promotion Rules for the post of Computer Operator, Class-III (Non-Gazetted) Technical Services in various Departments of the Government of Himachal Pradesh as per Annexure-I attached to this notification, namely:-

- 1. Short title, Commencement and application.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Computer Operator, Class-III (Non-Gazetted) Common Direct Recruitment and Promotion Rules, 2012.
- (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
- (3) These rules shall be applicable to all the Government Departments of State of Himachal Pradesh:

Provided that these Rules shall not apply to the posts of the Vidhan Sabha Secretariat/ High Court of H.P.

- **2. Repeal and savings.**—(1) The method of direct recruitment provided in Recruitment and Promotion Rules for the post of Computer Operator under various Departments of the Himachal Pradesh Government issued from time to time, shall cease to operate.
- (2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (I) supra, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

	By order,
MANISHA	NANDA,
Principal Secretary (Pe	ersonnel).

Annexure-I

Common Direct Recruitment & Promotion Rules for the posts of Computer Operator in various Departments of Himachal Pradesh Government

- 1. Name of Post.—Computer Operator.
- **2. Number of Posts.**—As sanctioned and may be sanctioned by the Government from time to time in the concerned Departments.
- **3.** Classification.—Class-III (Non-Gazetted) (Technical Services).
- **4. Scale of Pay.**—i) Pay Scale for regular incumbents Rs. 10300-34800+3200 Grade Pay.
 - ii) Emoluments for contract employees Rs.13,500/- as per details given in Col. No. 15-A.
- 5. Whether "Selection" Post or "Non-Selection" Post.—N.A.
- **6. Age for Direct recruitment.**—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

- **Note.**—(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
- (2) Age and experience in the case of direct recruitment are relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
- 7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruitment.—a) ESSENTIAL QUALIFICATION: (i) Bachelor's Degree in Computer Application/Information Technology/Computer Science or its equivalent from a recognized University or from an Institution duly recognized by the H.P./Central Government.

 $\cap \mathbb{R}$

(ii) 03 Years Diploma Course in Computer Science/Information Technology or its equivalent from a Polytechnic Institute duly recognized by the H.P./Central Govt.

OR

(iii) Bachelor's Degree or its equivalent from a recognized University; and

Diploma of at least one year duration in Data Entry Operation/Computer Application/Computer Programming or its equivalent from a recognized University or from an Institute duly recognized by the H.P./ Central Government.

OR

"O" LEVEL Course from DOEACC Society.

- b) **DESIRABLE QUALIFICATION (S).**—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
- 8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Age: N.A., Educational Qualifications: N.A.
- 9. **Period of Probation, if any.**—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
- 10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or on contract basis or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the

case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

- 11. In case of recruitment by promotion deputation, transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made.—N.A.
 - 12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—N.A.
- 13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
- **14. Essential requirement for a direct recruitment.**—A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.
- 15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission OR other recruiting authority as the case may be.
- 15-A. (Selection for appointment to the post by contract appointment).—Notwith-standing anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-
- (I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Computer Operator in Department of ______(Name of the Department) H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extention/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

- **(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP SSSB.**—The HOD of the concerned Department (Designation of the appointing authority) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
- (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
- (II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Computer Operator (Name of the post) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 13500/-P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs.410/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
- (III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY.—The HOD of the concerned Department (Designation of the appointing authority) H.P. will be appointing and disciplinary authority.
- (IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or

expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

- **(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.**—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur. from time to time.
- **(VI) AGREEMENT.**—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.
- **(VII) TERMS AND CONDITIONS.**—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 13500/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.410/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
- (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
- (c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.
- (d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
- (e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
- (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.
- (h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
- **16. Reservation.**—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
 - 17. **Departmental Examination.**—Not Applicable.

18. Power to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order forreasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the provision (s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post (s).

ANNUEXURE-"B"

ANNUL			MULAUKE- D
	n of contract/agreement to be executed between ment of Himachal Pradesh through Authority).		
	Authority).		
TI	ais agreement is made on this	day of	in the
vear	as agreement is made on this Between Sh./Smt R/o	day or	$\frac{1}{S/o/D/o}$
Shri	R/o		5/6/2/0
		<u> </u>	
Himachal	ontract appointee (hereinafter called the FIRS Pradesh through (Desig Pradesh (here-in-after the SECOND PARY).		
PARTY 1	hereas, the SECOND PARTY has engaged the at has agreed to serve as a Computer Operator (Nanterms & conditions:-		
1.	That the FIRST PARTY shall remain in the second computer Operator (Name of the post) for a permand and agreed upon by both the parties that the contwith SECOND PARTY shall ipso-facto stand termand and information notice shall be seen as a second control of the parties of the post of the	riod of one year community. It is specificated on the last w	nencing on day of ifically mentionedFIRST PARTY
	Provided that for-further extention/renewa a certificate that the service and conduct of the during the year and only then the period of contra	he contract appointed	e was satisfactory
2.	The contractual amount of the FIRST PARTY w	rill be Rs.13500/- per r	nonth.
3.	The service of FIRST PARTY will be purely of liable to be terminated in case the performance/of found good or if a regular incumbent is appointed the first party was engaged on contract.	conduct of the contract	et appointee is not
4.	Contractual Computer Operator will be entitled to one month service. This leave can be accumulated is admissible to the contractual Computer Operator Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave.	ted upto one year. No ator. He will not be en	leave of any kind attitled for Medical

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Computer Operator (Name of the post) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

- 6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- 7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner
- 8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
- 9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

1	
(Name and Full Address)	(Signature of the FIRST PARTY)
2	
(Name and Full Address)	
IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1	
(Name and Full Address) 2.	(Signature of the SECOND PARTY)

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 जनवरी, 2012

संख्या टी.एस.एम.—बी(1)—1/2009.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में जिला पर्यटन विकास अधिकारी, वर्ग—I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध—'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नित नियम बनाती हैं; अर्थात :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, वर्ग—I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है ।
 - (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- 2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 2—39 / 92—टी.एस.एम.(सचि.) तारीख 29—11—1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, राजपत्रित (वर्ग—I) अलिपिकीय सेवायें भर्ती एवं प्रोन्नित नियम, 1997 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप—नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, **मनीषा नंदा,** प्रधान सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन)।

उपाबन्ध "क"

हिमाचल प्रदेश, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में जिला पर्यटन विकास अधिकारी, वर्ग—I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नित नियम

- 1. **पद का नाम.**—जिला पर्यटन विकास अधिकारी।
- **2. पदों की संख्या.**—05 (पांच)।
- 3. वर्गीकरण.—वर्ग—I (राजपत्रित) (अलिपिकीय वर्गीय सेवाएं)।
- 4. वेतनमान.—पे बैंड ₹ 10300—34800 जमा ₹ 5000 ग्रेड पे।
- **5. चयन पद अथवा अचयन पद.**—चयन ।
- 6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-लागू नहीं ।
- 7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.— (क) अनिवार्य अर्हताएं : लागू नहीं । (ख) वांछनीय अर्हताएं : लागू नहीं ।
- 8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.—आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं ।
- 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनिधक ऐसी और अविध के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
- 10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नित, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.—(i) साठ प्रतिशत सैकैन्डमैन्ट द्वारा। (ii) चालीस प्रतिशत प्रोन्निति द्वारा।

- 11. प्रोन्नित, प्रितिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नित, प्रितिनयुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.—(i) सहायक पर्यटन विकास अधिकारियों में से प्रोन्नित द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर सहायक पर्यटन विकास अधिकारियों में से प्रोन्नित द्वारा जिनका सहायक पर्यटन विकास अधिकारी और निरीक्षक (होटल्स) / पर्यटक सूचना अधिकारी के रूप में संयुक्ततः आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें सहायक पर्यटन विकास अधिकारी के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी ।चालीस प्रतिशत
- (ii) हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारियों या हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों / बोर्डों / निगमों से इस पद के समतुल्य वेतनमान में कार्यरत सदृश पदों के अधिकारियों में से सैकैन्डमैन्ट आधार पर :साठ प्रतिशत

परन्तु जिला पर्यटन विकास अधिकारी के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित पांच बिन्दु ''पद'' आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा:—

> रोस्टर बिन्दु संख्या सम्भरक प्रवर्ग पहला एवं चौथा प्रोन्नित द्वारा दूसरा, तीसरा एवं पांचवां सैकैन्डमैन्ट आधार पर

टिप्पण.—रोस्टर प्रत्येक पांचवें बिन्दु के पश्चात् तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक कि जिला पर्यटन विकास अधिकारी के काडर में दोनों प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधितत्व प्राप्त नहीं हो जाता । तत्पश्चात् रिक्ति उस प्रवर्ग से भरी जाएगी जिससे पद रिक्त हुआ है :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में 'कार्यकाल' से साधारणतया तीन वर्ष की अविध या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अविध अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II.— उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :—

- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
- 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमीर उप-मण्डल।
- रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
- जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
- कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
- कांगडा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
- 7. जिला किन्नौर।

- 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़—भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त्त।
- 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल—बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उपतहसील के गाड़ा गुसैणी, मठियानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्दर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ़, थाच—बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त :
- (1) प्रोन्नित के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नित के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नित, भर्ती और प्रोन्नित नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई किनष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सिहत, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने—अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय किनष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नित के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नित नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नित किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे किनष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नित के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे :

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत किनष्ट पदधारी प्रोन्नित के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा / समझे जाएंगे, यदि वरिष्ट अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनेल (रिजर्वेशन आफ वैकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन—टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स—सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नित, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नित नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

- 12. यदि विभागीय प्रोन्नित सिमिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—विभागीय प्रोन्नित सिमिति की अध्यक्षता अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या उसके द्वारा नामनिर्देशित सदस्य द्वारा की जाएगी।
- 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

- 14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं.—लागू नहीं ।
- 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—लागू नहीं ।
- 16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय—समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
- **17.** विभागीय परीक्षा.—सेवा में प्रत्येक सदस्य को, समय—समय पर यथा संशोधित, हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।
- 18. शिथिल करने की शिक्त.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

[Authoritative English text of Notification No. TSM-B(1)-1/2009 Dated 11-01-2012 as required under Clause-(3) of Article 348 of Constitution of India].

Tourism & Civil Aviation Department

NOTIFICATION

Shimla-2, 11th January, 2012

- No. TSM-B(1)-1 /2009.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of District Tourism Development Officer, Class-I (Gazetted) Non Ministerial Services in the Department of Tourism & Civil Aviation, Himachal Pradesh as per Annexure-'A' attached to this Notification, namely:-
- 1. **Short title and Commencement.**—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Tourism & Civil Aviation Department, District Tourism Development Officer, Class-I (Gazetted), Non Ministerial Services, Recruitment and Promotion, Rules, 2012.
- (2) These Rules shall come into force from the date of publication in the E-Gazette, Himachal Pradesh.
- 2. **Repeal & Savings.**—(1) Himachal Pradesh Tourism & Civil Aviation Department Distirct Tourism Development Officer, Gazetted (Class-I) Non Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this Department notification No. 2-39/92-TSM(Sectt) dated 29.11.1997 are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules 2(1), supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these Rules.

By order, **MANISHA NANDA**, *Pr. Secretary (Tourism & CA)*.

ANNEXURE-'A'

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DISTRICT TOURISM DEVELOPMENT OFFICER (GAZETTED) CLASS-I, IN THE DEPARTMENT OF TOURISM & CIVIL AVIATION, HIMACHAL PRADESH

- 1. Name of the Post.—District Tourism Development Officer
- 2. Number of post(s) .—05 (Five)
- **3.** Classification.—Class-I (Gazetted) (Non Ministerial Services)
- 4. Scale of pay.—Pay Band ₹ 10300-34800 + ₹ 5000/-Grade Pay
- 5. Whether Selection or Non-Selection post.—Selection
- **6. Age for direct recruitment.**—Not applicable
- 7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—
 (a) Essential Qualification(s): Not applicable (b) Desirable Qualification(s): Not applicable.
- 8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promote(s).—Age: Not applicable. Educational Qualification: Not applicable.
- **9. Period of probation, if any.**—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be record in writing.
- 10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—i) 60% by secondment.
 - ii) 40% by promotion.
- 11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/transfer is to be made.—(i) By promotion from amongst the Assistant Tourism Development Officers with five years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Assistant Tourism Development Officer having eight years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Assistant Tourism Development Officer and Inspector (Hotels)/Tourist Information Officer which shall also include two years' essential service as Assistant Tourism Development Officer40%.
- (ii) On secondment basis from amongst the H.P. Administrative Service Officers or the officers of the analogous posts working in the identical pay scale of this post from other H.P. Government Departments/Boards/Corporations.60%.

Provided that for filling up the posts of District Tourism Development Officer the following 05 points "Post" based roster shall be followed:-

Roster Point(s) No. 1st & 4th 2nd, 3rd & 5th Feeder Category By Promotion. Secondment basis. **Note.**—The roster will be rotated after every 5th vacancy till the representation to both categories is achieved upto the prescribed percentage in the cadre of District Tourism Development Officer. Thereafter, the vacancy will be filled up from the category which vacates the post.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post (s) available in such areas;

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

- 1. District Lahaul & Spiti.
- 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
- 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub Division.
- 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
- 5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
- 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
- 7. District Kinnaur.
- 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
- 9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini,Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh- Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
- (1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment and Promotion Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

- 12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?.— D.P.C. to be presided over by the Chairman, H.P. Public Service Commission or a Member thereof to be nominated by him.
- 13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
 - **14. Essential requirement for a direct recruitment.**—Not applicable.
 - 15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable.
- **16. Reservation.**—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
- **17. Departmental Examination.**—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.
- **18. Powers to relax.**—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).